

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 50

एड्स नियंत्रण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

| | | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|---|--|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| मुख्य शीर्ष | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| | | 1314.71 | ... | 1314.71 | 1770.00 | ... | 1770.00 | 1487.36 | ... | 1487.36 | 1702.00 | ... | 1702.00 | |
| | | 1.36 | ... | 1.36 | 15.00 | ... | 15.00 | 12.64 | ... | 12.64 | 83.00 | ... | 83.00 | |
| | | 1316.07 | ... | 1316.07 | 1785.00 | ... | 1785.00 | 1500.00 | ... | 1500.00 | 1785.00 | ... | 1785.00 | |
| 1. | सचिवालय सामाजिक सेवाएं | 2251 | 10.42 | ... | 10.42 | 13.38 | ... | 13.38 | 13.38 | ... | 13.38 | 16.49 | ... | 16.49 |
| 2. | स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान, निर्देश और प्रशासन | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.01 स्वायत्तशासी निकायों आदि को अनुदान | 2210 | 766.41 | ... | 766.41 | 833.00 | ... | 833.00 | 665.37 | ... | 665.37 | 1.00 | ... | 1.00 |
| | 2.02 निर्देश और प्रशासन | 2210 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.00 | ... | 12.00 |
| | जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान, निर्देश और प्रशासन | | 766.41 | ... | 766.41 | 833.00 | ... | 833.00 | 665.37 | ... | 665.37 | 13.00 | ... | 13.00 |
| 3. | सूचना, शिक्षा और संप्रेषण | 2210 | 73.43 | ... | 73.43 | 72.00 | ... | 72.00 | 45.00 | ... | 45.00 | 51.00 | ... | 51.00 |
| 4. | खरीद | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.01 उपकरण | 2210 | ... | ... | ... | 11.10 | ... | 11.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | 4.02 औषधि, किट्स और उपभोक्ता वस्तुएं | 2210 | 235.40 | ... | 235.40 | 458.56 | ... | 458.56 | 461.63 | ... | 461.63 | 452.00 | ... | 452.00 |
| | 4.03 सेवाएं | 2210 | 15.36 | ... | 15.36 | 20.85 | ... | 20.85 | 14.40 | ... | 14.40 | 30.00 | ... | 30.00 |
| | जोड़- खरीद | | 250.76 | ... | 250.76 | 490.51 | ... | 490.51 | 476.03 | ... | 476.03 | 482.00 | ... | 482.00 |
| 5. | राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद | 2210 | ... | ... | ... | 3.00 | ... | 3.00 | 2.57 | ... | 2.57 | 1.00 | ... | 1.00 |
| 6. | कंडोमों की आपूर्ति | 2210 | 213.69 | ... | 213.69 | 179.60 | ... | 179.60 | 135.00 | ... | 135.00 | 152.00 | ... | 152.00 |
| 7. | रक्त एवं रक्त उत्पादों हेतु कार्यक्रम | 2210 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8. | मेट्रो रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पूंजीगत परिव्यय | 4210 | 1.36 | ... | 1.36 | 15.00 | ... | 15.00 | 12.64 | ... | 12.64 | 83.00 | ... | 83.00 |
| 9. | अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान | 2210 | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 |
| 10. | पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं | | | | | | | | | | | | | |
| | 10.01 राज्य एड्स नियंत्रण समाजों की सहायता अनुदान | 2552 | ... | ... | ... | 95.00 | ... | 95.00 | 101.00 | ... | 101.00 | ... | ... | ... |
| | 10.02 सूचना, शिक्षा और संचार | 2552 | ... | ... | ... | 8.00 | ... | 8.00 | 8.00 | ... | 8.00 | 12.50 | ... | 12.50 |
| | 10.03 सरकारी खरीद | 2552 | ... | ... | ... | 54.50 | ... | 54.50 | 24.00 | ... | 24.00 | 23.00 | ... | 23.00 |
| | 10.04 कंडोमों की आपूर्ति | 2552 | ... | ... | ... | 21.00 | ... | 21.00 | 17.00 | ... | 17.00 | 23.00 | ... | 23.00 |
| | जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं | | ... | ... | ... | 178.50 | ... | 178.50 | 150.00 | ... | 150.00 | 58.50 | ... | 58.50 |
| राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना | | | | | | | | | | | | | | |

| मुख्य शीर्ष | वास्तविक 2012-2013 | | | बजट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | |
|--|--------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| 11. राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 राज्य योजना | 3601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 772.00 | ... | 772.00 | |
| 11.02 संघ राज्य क्षेत्र योजना | 3602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36.00 | ... | 36.00 | |
| 11.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम | 2552 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 120.00 | ... | 120.00 | |
| जोड़- राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 928.00 | ... | 928.00 | |
| कुल जोड़ | | 1316.07 | ... | 1316.07 | 1785.00 | ... | 1785.00 | 1500.00 | ... | 1500.00 | 1785.00 | ... | 1785.00 |
| विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. व. वा. सं. | जोड़ | |
| ग. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्रीय योजना: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं | 22251 | 10.42 | ... | 10.42 | 13.38 | ... | 13.38 | 13.38 | ... | 13.38 | 16.49 | ... | 16.49 |
| 2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | 22210 | 1305.65 | ... | 1305.65 | 1593.12 | ... | 1593.12 | 1336.62 | ... | 1336.62 | 782.01 | ... | 782.01 |
| 3. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | ... | ... | ... | 178.50 | ... | 178.50 | 150.00 | ... | 150.00 | 58.50 | ... | 58.50 |
| जोड़ - केन्द्रीय योजना | | 1316.07 | ... | 1316.07 | 1785.00 | ... | 1785.00 | 1500.00 | ... | 1500.00 | 857.00 | ... | 857.00 |
| राज्य योजना: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम | 43601 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 892.00 | ... | 892.00 |
| जोड़ - राज्य योजना | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 892.00 | ... | 892.00 |
| संघ राज्य क्षेत्र योजना : | | | | | | | | | | | | | |
| संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ) | | | | | | | | | | | | | |
| 1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम | 43602 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36.00 | ... | 36.00 |
| जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 36.00 | ... | 36.00 |
| जोड़ | | 1316.07 | ... | 1316.07 | 1785.00 | ... | 1785.00 | 1500.00 | ... | 1500.00 | 1785.00 | ... | 1785.00 |

1. **सचिवालय सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **स्वायत्त निकाय आदि एवं निदेशन और प्रशासन:** स्वायत्त निकाय आदि को अनुदान और विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र के निदेशन और प्रशासन व्यय हेतु प्रावधान है।

3. **सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण:** सुरक्षित तौर-तरीके अपनाने, सेवाओं के लिए मांग सृजित करने, कलंक और भेदभाव कम करने और अनुकूल एवं सशक्त माहौल बनाने के लिए जागरूकता पैदा करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना।

4. **खरीद:** यह प्रावधान औषधों, किटों, उपभोग्यों और उपकरण की खरीद के लिए है।

5. **राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद:** यह प्रावधान स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद को अनुदान देने के लिए है।

6. **कंडोंमें की आपूर्ति:** यह प्रावधान निःशुल्क आपूर्ति एवं कंडोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम के लिए कंडोंमें की खरीद तथा इसके लिए प्रचार अभियानों हेतु है।

8. **मेट्रो रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान 4 मेट्रो रक्त बैंकों की चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थापना और प्लाज्मा फ्रेक्शननेशन केन्द्र हेतु है।

9. **अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान:** यह प्रावधान एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से निपटने के लिए वैश्विक निधि में भारत सरकार के अंशदान के लिए है।

10. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं:** योजना आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं/परियोजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान निर्धारित किया गया है।

11. **राष्ट्रीय एड्स एवं स टी डी नियंत्रण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय एड्स एवं स टी डी नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/नगर निगम एड्स नियंत्रण सोसायटियों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इनमें (I) उच्च जोखिम वाले वर्गों और त्रिज आवादी में लक्षित हस्तक्षेप; (II) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा व संप्रेषण कार्यकलाप (III) यौन संचरित संक्रमण का उपचार, (IV) रक्त सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन (V) माता-पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम सहित एकीकृत परामर्श एवं जांच सुविधाओं का प्रावधान, (VI) लिंग कार्यकर्ता योजना के जरिए ग्रामीण आउटरिच सहित (क) निवारण, (ख) एच आई वी/एड्स से ग्रसित लोगों के लिए परिचर्या, सहायता और उपचार प्रदान करने संबंधी कार्यकलाप, (ग) क्षमता निर्माण, और (घ) कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन शामिल हैं।